बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

बिहार महादलित विकास मिशन

द्वितीय तल, सचिवालय विस्तारीकरण भवन ब्लॉक – 3, पटना
इमेल – mail@bmvm.org, वेबसाइट – www.mahadalitmission.org

पत्रांक – बि॰एम॰वि॰एम॰ 25-01/14-83

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
बिहार महादलित विकास मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
बिहार , पटना।

पटना, दिनांक : ...... / .... / 2019

विषय :सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड योजना को श्रेणियों में विभाजित करते हुए तदनुसार कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महादलित समुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण योजना अंतर्गत सभी संचालित इकाईयों का उनकी अंतिम मापी की तिथि एवं अंतिम मापी के अनुसार व्यय राशि के प्राप्त आँकडों के आधार पर आकलन करते हुए तीन श्रेणियों में विभाजित कर कार्रवाई किया जाना है।

तीनों श्रेणियों की विवरणी व आकलन के आधार का तालिका :–

योजना में व्यतीत अवधि का प्रतिशत	योजना में व्यतीत राशि का प्रतिशत	मापी अनुपात (Ratio)	मापी अनुपात के आधार पर श्रेणी	
1	2	3=1/2	4	
एकरारनामा की तिथि से अंतिम मापी की तिथि तक व्यतीत अवधि X 100 / कुल अवधि	अंतिम मापी पुस्त की राशि X 100 / एकरारनामा की राशि	व्यतीत अवधि का % / व्यय राशि %	मापी अनुपात	श्रेणी
			0–1.25 से कम	हरा
			1.25–2.00	पीला
			2.00 से अधिक	लाल

उक्त तालिका के स्तम्भ–4 के अनुसार योजनाओं को स्तम्भ–3 में अंकित सूत्रानुसार तीन श्रेणियों यथा लाल, हरा एवं पीला में विभक्त किया गया है। मापी अनुपात (स्मम्भ–3) से इंगित होता है कि यह अनुपात जितना अधिक होगा योजना का कार्यान्वयन उतना ही असंतोषप्रद परिलक्षित होगा तथा यह अनुपात 2.00 से अधिक होने पर योजना लाल जोन में प्रदर्शित होगी।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी योजना के एकरारनामा के अनुसार योजना प्रारंभ की तिथि 1 जनवरी 2018 योजना पूर्ण होने की तिथि 1[illegible] जनवरी 2020 तथा योजना के एकरारनामा की राशि एक करोड़ है एवं यदि इस योजना में अंतिम मापी 1 जनवरी 2019 को मापी पुस्त की

Scanned by CamScanner

377 राशि बीस लाख रू० है तो मापी अनुपात 50/20=2.5 होगा तथा योजना लाल श्रेणी में प्रदर्शित होगी।

योजनाओं के मापी अनुपात के अनुसार योजनाओं के लाल, पीला, हरा श्रेणिवार विवरणियों को पत्र के साथ संलग्न करते हुए निम्न निदेश दिये जाते है :–

1. लाल श्रेणी की सभी योजनाओं का कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह अवधि में स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन को योजना की धीमी गति के कारण एवं योजना के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने संबंधी कृत कार्रवाई करें।
2. लाल श्रेणी की सभी योजनाएँ यह अंकित करती है कि योजना के कार्यान्वयन में अनावश्यक एवं अतिशय विलंब किया गया है। अतः समीक्षोपरांत इन योजनाओं के संवेदकों के विरूद्ध यथोचित एवं विधि सम्मत कार्रवाई यानि पेनाल्टी/डीबार/कालीकरण की कार्रवाई का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को दी जाय।
3. पीला श्रेणी में प्रदर्शित सभी योजनाओं के कार्यपालक अभियंता 15 दिवस अवधि में स्थल निरीक्षण करते हुए योजना की धीमी गति के संबंध में प्रगति हेतु आवश्यक कारवाई करेंगे।

अतएव निदेशित किया जाता है कि उक्त तथ्यों का अविलम्ब अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिसकी कार्रवाई की सूचना विहित प्रपत्र C के अभियुक्ति कॉलम में अंकित कर मुख्यालय को भी दी जाय। साथ ही भविष्य में इन योजनाओं की समीक्षा इसी तरह कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 17/1/19

मिशन निदेशक

ज्ञापांक : वि० एम० वि० एम० 25-01/14-83

पटना, दिनांक : 17/01/2019

प्रतिलिपि : सभी जिला परियोजना पदाधिकारी –सह– जिला कल्याण पदाधिकारी/उपनिदेशक (कल्याण)/जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

(हस्ताक्षर)

मिशन निदेशक

Scanned by CamScanner